

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर

कमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/५१०७

दिनांक: ०१/०५/१६

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम के महापौर और नगरपरिषद के सभापति एवं नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिशः उपस्थित होकर त्याग पत्र प्रस्तुत करने एवं उक्त त्याग पत्र स्वीकार करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एतद्वारा निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

- 1.नगर निगम महापौर/नगरपरिषद सभापति के सम्बन्ध में निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
- 2.नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

कमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/16/५१०८-5322

दिनांक: ०१/०५/१६

प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01.निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वा० शा० जयपुर।
- 02.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वा० शा० जयपुर।
- 03.निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय निदेशालय।
- 04.उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त।
- 05.महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
- 06.आयुक्त/अधिसाधी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
- 07.समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण निदेशालय।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी